<u>न्यायालय- सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला -बालाघाट, (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—524 / 2004</u> <u>संस्थित दिनांक—30.06.2004</u> फाईलिंग क.234503000352004

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी, पश्चिम बैहर, सामान्य, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

– <u>अभियोजन</u>

// <u>विरुद</u>्ध //

1— कुंवरसिंह पिता ददनू, उम्र—58 वर्ष, जाति गोंड (फौत घोषित) निवासी—ग्राम कोरजा, थाना परसवाड़ा, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2— सुक्कल सिंह पिता सुमन सिंह, उम्र—36 वर्ष, जाति गोंड निवासी—ग्राम कोरजा, थाना परसवाड़ा, तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

<u>आरोपीगण</u>

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक-29/07/2015 को घोषित)

- 1— आरोपी सुक्कल सिंह के विरूद्ध धारा—9, 39, 40 सहपठित धारा—51, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—19.08.2000 को स्थान वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर स्थित ग्राम कोरजा में अपने मकान में बिना अनुज्ञापत्र के अवैध रूप से वन्य प्राणी चीतल के मांस, जबड़ा, हड्डी व चमड़े के टुकड़े, वन्य प्राणी सांभर के चमड़े के साथ आयुध बंदूक भरमार रखे पाए गए।
- 2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—19.08.2000 को वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर को आरोपीगण के द्वारा भरमार बंदूक से वन्य प्राणी का शिकार करने की जानकारी प्राप्त होने पर उसके द्वारा आरोपीगण के घर जाकर पूछताछ किया तथा आरोपी कुंवरसिंह की बाड़ी की तलाशी लेने पर उसके मकान से भरमार बंदूक वन्य प्राणी का मांस, चमड़ा, जबड़ा आदि पाया गया, जिसको

रखने की अनुज्ञप्ति के बारे में पूछे जाने पर आरोपीगण ने अनुज्ञप्ति नहीं होना बताया। आरोपीगण द्वारा जुर्म करना कबूल किया गया, जिस पर वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर द्वारा आरोपीगण के विरूद्व पी.ओ.आर.कमांक—1390/16, धारा—9, 39, 40 सहपित धारा—51, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत् पंजीबद्व किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपीगण के कथन, साक्षियों के कथन लेखबद्व किये गये, तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी सुक्कल सिंह को धारा—9, 39, 40 सहपठित धारा—51, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। विचारण के दौरान आरोपी कुंवरसिंह फौत हो चुका है। आरोपी सुक्कल सिंह ने धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूंठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4- प्रकरण के निराकरण हेतू निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू यह है कि:--

1. क्या आरोपी सुक्कल सिंह ने दिनांक—19.08.2000 को स्थान वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर स्थित ग्राम कोरजा में अपने मकान में बिना अनुज्ञापत्र के अवैध रूप से वन्य प्राणी चीतल के मांस, जबड़ा, हड्डी व चमड़े के टुकड़े, वन्य प्राणी सांभर के चमड़े के साथ आयुध बंदूक भरमार रखे पाया गया ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— पी.एस. उइके (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह सितम्बर 2000 से अगस्त 2005 तक वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैहर सामान्य के पद पर पदस्थ था। पी.ओ.आर. कमांक—1390/16 से संबंधित दस्तावेज उसके समक्ष लाए जाने पर उसने आरोपीगण के विरूद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध किया जाना पाए जाने पर उसके द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध परिवादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है। वह राज्य शासन द्वारा घटना के समय परिवाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत था। उक्त साक्षी ने मामलें में परिवाद प्रस्तुत किये जाने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

अनुसंधानकर्ता अधिकारी के.एल. बांगड़े (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह दिनांक-19.08.2000 को परिक्षेत्र सहायक परसवाड़ा, पश्चिम बैहर में वन विभाग में पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरोपीगण के द्वारा ग्राम कोरजा में वन्य प्राणी चीतल का अवैध शिकार बंदूक के द्वारा किया गया था। उक्त सूचना परिक्षेत्र अधिकारी से प्राप्त हुई थी। फिर वह बी.एल. टण्डेश्वर, बीट गार्ड मधुसुदन बोरकर व अन्य लोगों के साथ ग्राम कोरजा गया था। उनके द्वारा आरोपीगण के यहां से वन्य प्राणी चीतल का मांस, जबड़ा, हड्डी के टुकड़े, सांभर का चमड़ा व भरमार बंदूक जप्त किया था। जप्ती की कार्यवाही साक्षियों के समक्ष उसके द्वारा तैयार की गई थी, जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके पश्चात् उसके द्वारा पी. ओ.आर की कार्यवाही की गई थी, जो प्रदर्श पी-2 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष मौके का पंचनामा सिपाही चंदेल ने बनाया था, जो प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। जप्त की गई बंदूक का पंचनामा प्रदर्श पी-4, उसके द्वारा बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा आरोपीगण के बयान उनके बताए अनुसार लेख किया गया था, जो प्रदर्श पी-5 एवं 6 है, जिन पर उनके हस्ताक्षर हैं। आरोपीगण ने अपना जुर्म स्वीकार किया था। साक्षी सुपरसिंह, नारायणसिंह, मधुसुदन, रामलाल के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था।

7— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने आरोपीगण से अलग—अलग जप्ती किये जाने का उल्लेख नहीं किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने कथित वन्य प्राणी चीतल को मारने के स्थान के संबंध में कोई पंचनामा या नक्शा तैयार नहीं किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मौका पंचनामा प्रदर्श पी—3 में कथित वन्य प्राणी के शिकार किये जाने का भी उल्लेख नहीं किया गया है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कथित वन्य प्राणी चीतल के मांस के टुकड़े की संख्या व चमड़े के टुकड़े की लंबाई, चौड़ाई का उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में की गई महत्वपूर्ण कार्यवाही के संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा लिये गए आक्षेप व किमयों को स्वीकार कर उनका स्पष्टीकरण अपनी साक्ष्य में पेश नहीं किया है। साक्षी ने अपनी कार्यवाही में जिन किमयों व त्रुटियों को स्वीकार किया है, वह तात्विक त्रुटि होना प्रकट होती है, जिस कारण उक्त साक्षी के द्वारा अनुसंधानकर्ता अधिकारी की कार्यवाही निष्पक्ष रूप से किया जाना संदेहास्पद होना प्रकट होता है।

8— श्यामलाल (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। वह दिनांक—19.07.2000 में परिक्षेत्र पश्चिम बैहर के अंतर्गत भादूकोटा बीट में था। आरोपीगण से वन्य प्राणी सुअर की हड्डी सहायक परिक्षेत्र अधिकारी ने जप्त किया था। सुअर की हड्डी कुंवरसिंह की बाड़ी से जप्त कर पंचनामा प्रदर्श पी—4 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पंचनामा में लिखे शब्द पढ़कर बताए जाने पर कहा कि बंदूक कुंवरसिंह के घर से जप्त हुई थी। बंदूक की नाप किये थे, किन्तु उसकी लंबाई चौड़ाई याद नहीं है। बंदूक जप्ती के समय के.एल. बागड़े एवं अन्य लोग उपस्थित थे। दूसरे आदमी सकुकल सिंह के संबंध में उसे जानकारी नहीं है, उससे कोई जप्ती नहीं हुई थी। साक्षी ने आरोपी सुक्कल सिंह से कोई जप्ती न किया जाना प्रकट किया है। इस प्रकार साक्षी के कथन से आरोपी सुक्कल सिंह के विरुद्ध कथित अपराध कारित किये जाने के संबंध में अभियोजन को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

9— सुन्हेर सिंह (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उसके सामने आरोपीगण से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की गई थी। उसके सामने पी.ओ.आर प्रदर्श पी—2 नहीं काटा गया था। उसने प्रदर्श पी—2 पर कोई अंगूठा नहीं लगाया था। उसके समक्ष आरोपीगण से चीतल का चमड़ा, कच्चा मांस आदि जप्त नहीं किये थे और न ही चीतल की हड्डी, बंदूक जप्त किया था। आरोपी सुक्कल ने यह नहीं बताया कि उसने चीतल का शिकार किया था और आधा भाग आरोपी कुंवरसिंह को दिया था। उक्त साक्षी को प्रदर्श पी—7 का बयान पढ़कर सुनाए जाने पर उसने बयान नहीं देना व्यक्त किया, कैसे लिखा गया उसे जानकारी नहीं है। उसके सामने आरोपीगण से कोई जप्ती नहीं हुई थी और न ही प्रदर्श पी—1 पर उसने अंगूठा लगाया था। इस प्रकार साक्षी ने जप्ती अधिकारी की किसी भी कार्यवाही का समर्थन न किये जाने से साक्षी के कथन से आरोपी सुकलसिंह के विरुद्ध कथित अपराध कारित किये जाने के संबंध में अभियोजन को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

10— आर.एल. बिसेन (अ.सा.5) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। वह वर्ष 2000 में शिवली डिपो में पदस्थ था। सुअर का शिकार किया गया था और बंदूक आरेपी कुंवरसिंह से जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—4 का पंचनामा कोरजा में डिप्टी साहब ने बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह

आरोपी सुक्कल सिंह को नहीं जानता, उसके पास से क्या जप्त हुआ था, वह नहीं जानता। वह वर्ष 2001 में डाबरी चला गया था। गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—8 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसे अच्छे से याद है, सुअर का शिकार हुआ था, चीतल का नहीं। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि सुक्कल सिंह के पास से कोई जप्ती नहीं हुई। इस प्रकार साक्षी ने परिवाद से हटकर कथित सुअर का शिकार किये जाने की जानकारी बताकर आरोपी सुक्कल से कथित जप्ती की कार्यवाही का समर्थन न किये जाने से उक्त साक्षी के कथन से अभियोजन मामलें को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

- 11— मंगलू (अ.सा.६) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। आरोपी कुंवरसिंह फौत हो चुका है। पंचनामा प्रदर्श पी—3 में उसके हस्ताक्षर नहीं है। हिरन का चमड़ा, मांस, हड्डी आदि जप्त नहीं किया गया। उक्त चमड़ा बैल या बोदे का था, वह नहीं जानता। उक्त चमड़ा आरोपी कुंवरसिंह के घर से पकड़ाया था। आरोपी कुंवरसिंह के घर से बंदूक निकालकर ले गए थे। सांभर का चमड़ा, कच्चे मांस इत्यादि की जप्ती नहीं हुई थी। उसने कोई बयान नहीं दिया था। वह नहीं जानता कि आरोपी सुक्कलसिंह के घर की तलाशी ली गई थी या नहीं। साक्षी ने अस्वीकार किया कि वह आरोपीगण को बचाने के लिए न्यायालय समक्ष झूठे बयान दे रहा है। इस साक्षी ने अभियोजन मामलें का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।
- 12— देवेन्द्र (अ.सा.7) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसके समक्ष आरोपी कुंवरिसंह से कोई सामान जप्त नहीं किया गया और न ही कोई पंचनामा तैयार किया गया है। पंचनामा प्रदर्श पी—4 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस साक्षी ने अभियोजन मामलें का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।
- 13— गुलाब उइके (अ.सा.८) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। लगभग दो—ढाई वर्ष पूर्व वह वन गश्ती में वनरक्षक के साथ कक्ष क्रमांक—104 बीट देवरदादरा पर गया था। वहां उसने दो व्यक्तियों को बक्कल काटते हुए पकड़ा था, उनमें से एक ने अपना नाम बुधराम और दूसरे ने पुरूषोत्तम बताया था। उसके समक्ष प्रदर्श पी—1 एवं 2 का पंचनामा बनाया गया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। उसके समक्ष एक आरोपी से 12 किलो बक्कल और एक कुल्हाड़ी

जप्त किया था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसके समक्ष आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर प्रदर्श पी—4 काटा गया था। उसके समक्ष आरोपीगण ने अपना बयान दिए थे, जो प्रदर्श पी—6 एवं प्रदर्श पी—6 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—8 व 9 को तैयार किया गया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अपना बयान प्रदर्श पी—15 परिक्षेत्र सहायक को दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने अपनी साक्ष्य में परिवाद मामलें से भिन्न जिन दो व्यक्तियों को आरोपी के रूप में पहचान की है, उनका नाम बुधराम व पुरुषोत्तम बताया है। इसके अलावा मामलें में दो व्यक्तियों से बक्कल की जप्ती होना बताया है, जबिक अभियोजन मामलें में कथित बक्कल की कोई जप्ती नहीं है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलें का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है, बल्कि साक्षी के कथन से जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—3 पी.ओ.आर प्रदर्श पी—4 आरोपीगण के बयान प्रदर्श पी—5 एवं 6 व गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी—8 व 9 पर हस्ताक्षर होने से यह संदेह उत्पन्न हो जाता है कि साक्षी के औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कराकर आरोपीगण के विरुद्ध यह मामला तैयार किया गया है।

14— प्रकरण में एकमात्र साक्षी अनुसंधानकर्ता अधिकारी के एल. बांगड़े (अ.सा. 2) ने अपनी साक्ष्य में मामलें में की गई अनुसंधान कार्यवाही में आरोपी सुक्कल से कथित रूप से पृथक से जप्ती की कार्यवाही न कर दोनों आरोपीगण संयुक्त जप्ती की कार्यवाही किया जाना प्रकट किया है। जबिक परिवादपत्र में यह उल्लेखित है कि आरोपी कमांक—1 अर्थात कुंवरसिंह के आधिपत्य से वन्य प्राणी चीतल की हड्डी, कच्चा मांस, जबड़ा के टुकड़े व सांभर का चमड़ा उसके घर से जप्त किया गया और इसी तरह आरोपी कमांक—2 अर्थात सुक्कलिसंह से उसके घर की तलाशी के दौरान वन्य प्राणी चीतल का मांस, हड्डी, चमड़े के टुकड़े, सांभर का चमड़ा जप्त किया गया है। इस प्रकार परिवादपत्र में उल्लेखित तथ्य से हटकर दोनों आरोपीगण से एक की जप्ती की कार्यवाही कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी—1 तैयार किया जाना तथा जप्त की गई सामग्री के संबंध में कथित चमड़े के टुकड़े व मांस व हड्डी के टुकड़े की संख्या व आकार का उल्लेख न कर संयुक्त जप्ती की कार्यवाही किया जाना मामलें में तात्विक त्रृटि किया जाना प्रकट होता है।

15— जप्ती अधिकारी की उक्त त्रुटिपूर्ण कार्यवाही का जप्ती के साक्षीगण द्वारा किसी प्रकार से समर्थन न किया जाना, स्वतंत्र साक्षीगण में से स्वयं विभागीय साक्षी रहे आर.एल. बिसेन (अ.सा.5) के द्वारा परिवाद मामलें से भिन्न कथित सुअर का शिकार किया जाना व साक्षी गुलाब उइके (अ.सा.8) के द्वारा आरोपीगण की अन्य व्यक्ति बुधराम व पुरूषोत्तम के रूप में पहचान कर अन्य सामग्री जप्त किया जाना बताए जाने से भी आरोपी सुक्कलिसंह के विरूद्ध की गई कार्यवाही संदेहास्पद है। ऐसी त्रुटिपूर्ण व संदेहास्पद जप्ती एवं अनुसंधान कार्यवाही के आधार पर आरोपी सुक्कल के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद से अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

16— इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन आरोपी सुक्कल के विरूद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलस्वरूप आरोपी सुक्कल को अंतर्गत धारा—9, 39, 40 सहपठित धारा—51, वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

17— अारोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

18— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति पेश नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट